कार्यालय कलेक्टर (विकास) सिवनी म.प्र.

//आदेश//

क्रमांक/2190/पंचा.प्रको./जि.पंचा./2020 दिनाक 25/03/2020

संचनालय कृषि अभियांत्रिकी का पत्र क्रमांक /तक /विविध /2019-2020 /842 भोपाल दिनाक 24/03/2020 के संदर्भ में लेख है कि वर्तमान में कोरोना वाइरस से सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण जिले को लॉक डाउन किया गया है जिले में फसलो की कटाई तथा उससे सम्बंधित कार्य किये जाने है इसमें कृषको द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा कम्बाइन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनों के उपयोग से फसलो कि कटाई की जाएगी इस हेतु अनुमति निम्न शर्तो के अधीन दी जाती है -

(अ) कम्बाइन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा थ्रेशर आदि मशीनों से फसल कटाई हेतु -

1. प्रत्येक मशीन संचालक सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव /ग्राम रोजगार सहायक को आने/जाने की सूचना देगा ।
2. ग्राम पंचायत सचिव /ग्राम रोजगार सहायक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मशीन के साथ संचालन हेतु 2 से 5 से अनाधिक व्यक्ति न हो तथा ये व्यक्ति सर्दी जुखाम ,खासी ,बुखार से पीड़ित न हो अन्यथा पीड़ित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय जाँच हेतु वापिस जाने के निर्देश देगा ।
3. प्रत्येक खेत में मशीन द्वारा फसल कटाई के समय भू-स्वामी सहित कुल दो व्यक्ति को ही उपस्थित रहने कि अनुमति होगी ।
4. मशीन से फसल कटाई के समय प्रत्येक व्यक्ति के बीच न्यूनतम 2 मीटर कि दूरी, हाथो की स्वच्छता सहित समस्त सावधानियों का पालन करना होगा ।

(ब) व्यक्तिगत आधार पर फसल कटाई हेतु :-

1. सर्दी जुखाम ,खासी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति फसल कटाई का कार्य नही करेगा ।
2. फसल कटाई कार्य में अधिकतम 05 व्यक्ति कार्य कर सकेंगे।
3. कटाई कार्य कर रहे व्यक्तिओ को परस्पर न्यूनतम 2 मीटर कि दूरी रखना अनिवार्य होगा ।
4. फसल कटाई कर रहे व्यक्तिओ को हाथो की स्वछता एवं अन्य समस्त सावधानियो का पालन करना होगा।

सभी व्यक्तियों को कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा ।

उपरोक्त शर्तो के पालन न करने की स्थिती में यह अनुमति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी तथा शर्तो के उल्लंघन करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कि जावेगी ।

(प्रवीण सिंह)
कलेक्टर
जिला सिवनी

पृष्ठां क्रमांक 2190-A /पंचा.प्रको./जि.पंचा./2020 दिनाक 25/03/2020

1. पुलिस अधीक्षक, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. अपर कलेक्टर, जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ,जिला सिवनी कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त)........................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. थाना प्रभारी समस्त ....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित ।
7. ग्राम पंचायत सचिव /ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत...................... जनपद पंचायत ....जिला सिवनी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार जारी किये गये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करे ।

कलेक्टर
जिला सिवनी